रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2003/कार्तिक 16, 1925
No. 177] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2003/KARTIKA 16, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 4 नवम्बर, 2003

सं. : टीएएमपी/8/2003-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा, स्टेवेडोरिंग गतिविधियों के लिए लेवी के संशोधन हेतु चेन्नई पत्तन न्यास के प्रस्ताव को संलग्न आदेश के अनुसार अनुमोदन प्रदान करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी /8/2003-सीएचपीटी

चेन्नई पत्तन न्यास — आवेदक

आदेश
(अक्तूबर 2003 के 22 वें दिन पारित)

यह प्रकरण स्टेवेडोरिंग गतिविधियों के लिए लेवी में संशोधन के लिए चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है ।

2. चेन्नई पत्तन न्यास(सीएचपीटी) ने कहा है कि चेन्नई डॉक लेबर बोर्ड (सीडीएलबी) के चेन्नई पत्तन न्यास में विलय से पहले, पूर्ववर्त्ती सीडीएलबी स्टेवेडोरिंग प्रचालन संचालित करता था और श्रमिकों की आपूर्ति के लिए लेवी एकत्रित करता था । विलय के बाद से पत्तन कार्गो प्रहस्तक श्रमिकों की आपूर्ति के लिए, विलय से पहले प्रचलित दरों का ही अनुसरण करता रहा । सामान्य संशोधन प्रकरण में इस प्राधिकरण के आदेश के अनुसरण में और 4 दिसम्बर, 2002 को आयोजित संयुक्त सुनवाई में जलयान पर स्टेवेडोरिंग प्रचालनों के लिए अलग लेवी संरचना के साथ आने के लिए सीएचपीटी को मिले निदेश के संबंध में, सीएचपीटी ने स्टेवेडोरिंग लेवी के व्यापक संशोधन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । उसके प्रस्ताव में उठाए गए मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं :-

(i). वर्ष 2001-2002 में कार्गो प्रहस्तन सम्भाग के वास्तविक व्यय पर आधारित, प्रति नग दर प्रोत्साहन को छोड़ते हुए, जिन्सवार प्रतिटन स्टेवेडोरिंग लेवी संरचना प्रस्तावित की गई है । स्टेवेडोर्स भी सीएचपीटी को प्रति नग दर प्रोत्साहन का भुगतान करेंगे ।

(ii). कुछ पत्तन उपयोगकर्त्ताओं के अनुरोध पर आधारित एक विकल्प के रूप में समान प्रतिशतता लेवी (206%) के साथ समय दर की गणना भी प्रस्तुत की गई है ।

(iii). पत्तन ने स्टेवेडोरिंग लेवी के साथ-साथ क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग प्रचालनों के लिए क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग प्रभार बढ़ाने का (सीएंडएफ प्रभार) भी प्रस्ताव किया है । सीएंडएफ प्रचालनों के लिए, सीएंडएफ प्रभारों के अलावा प्रति नग दर प्रोत्साहन के रूप में रू. 4/- प्रति टन की दर से एक राशि वसूल किए जाने का प्रस्ताव किया गया है ।

(iv). कुछ पत्तन उपयोगकर्त्ता प्रति टन लेवी अपनाने के बजाए प्रतिशतता लेवी के साथ समय दर की वर्तमान लेवी संरचना जारी रखने के इच्छुक हैं ।

(v). सीएचपीटी ने निर्णय किया है कि प्रति टन लेवी संरचना अधिक पारदर्शी होगी और न केवल पत्तन उपयोगकर्त्ताओं के लिए बल्कि आयातकों और निर्यातकों के लिए भी लाभकारी होगी और हो सकता है इससे स्टेवेडोरिंग की लागत भी कम हो जाए ।

3.1. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, सीएचपीटी का प्रस्ताव संबंधित उपयोगकर्त्ता संगठनों को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया था ।

3.2. उपयोगकर्त्ताओं से प्राप्त टिप्पणियों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति फीड बैक सूचना के रूप में सीएचपीटी को भेजी गई थी । सीएचपीटी ने अनुस्मारकों के बाद भी कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की ।

4. इस प्रकरण में 7 अगस्त, 2003 को सीएचपीटी परिसर में एक संयुक्त सुनवाई हुई थी । उस संयुक्त सुनवाई में सीएचपीटी और संबंधित उपयोगकर्त्ताओं ने अपना-अपना पक्ष रखा ।

5. प्रस्ताव की प्रारम्भिक छानबीन के आधार पर, सीएचपीटी से विभिन्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था । अनुस्मारकों के बाद सीएचपीटी ने हमारे प्रश्नों के उत्तर में निम्नलिखित टिप्पणि प्रस्तुत की है :-

(क) स्टेवेडोरिंग प्रभार

(i) अप्रैल, 2002 से अक्तूबर, 2002 तक सात माह के वास्तविक कार्गो के आधार पर समानुपातिक रूप से 12 माह की कार्गो मात्रा को बढ़ाया गया और इस प्रकार वर्ष 2002-2003 के लिए कुल कार्गो मात्रा का प्रक्षेपण तैयार किया गया था । टनों में इसी कार्गो-मात्रा को वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 के लिए भी, इन दोनों वर्षों में प्रहस्तन के लिए अपेक्षित टनों के आधार पर कुछ संशोधनों के साथ अनुमानित कर लिया गया था ।

(ii) वर्ष 2002-2003 में 7 माह की वास्तविक कार्गो मात्रा के आधार पर प्रति गैंग औसत उत्पादन की गणना की गई थी और चूंकि इस उत्पादन को पर्याप्त रूप से प्रतिनिधि मान लिया गया है, वर्ष 2003-2004 के लिए उत्पादकता में किसी अन्य सुधार का अनुमान नहीं किया गया है । इसने पिछले तीन वर्षों के लिए जिन्सवार औसत उत्पादकता भी प्रस्तुत की है ।

(iii) सीएचपीटी ने स्टेवेडोरिंग प्रभारों के लिए प्रति पाली प्रत्यक्ष पारिश्रमिक और रात्रि भत्ता की गणना भी प्रस्तुत की है । दर तक पहुंचने के उद्देश्य से प्रति नग दर को बाहर रखा गया है और उसे सभी जिन्सों के लिए प्रस्तावित दर के अतिरिक्त वास्तविकों पर एकत्रित किया जाएगा ।

(iv) अप्रत्यक्ष / परोक्ष लागत, प्रहस्तित प्रत्येक जिन्स के प्रत्यक्ष पारिश्रमिक के समानुपात में जिन्सवार आबंटित कर दी गई है । परोक्ष लागत वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखा में परिगणित कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन और भत्ते, बोनस और कल्याण के अन्य व्यय, चिकित्सा व्यय और पेंशन निधि, उपादान निधि, अ.भवि. निधि आदि जैसे प्रशासनिक व्यय का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

(v) वर्तमान दर और प्रस्तावित दर को दर्शाने वाला विश्लेषण उपयुक्त नहीं हो सकता है क्योंकि सीएचपीटी ने सभी जिन्सों के लिए 192% की दर से समान लेवी स्वीकार की है ।

(vi) पारिश्रमिक करार के अनुसार, सीएचडी कर्मियों के लिए प्रति नग दर / आवश्यकता आधारित श्रमिक पैमाने का संशोधन 25 मई 2001 को हुए विलय करार के साथ किया गया था और उसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 22 अप्रैल 2002 को एक बार पुनः संशोधित किया गया था ।

(ख) क्लि. एवं फार्व. प्रभार

(i) सीएचपीटी ने बताया है कि सामान्य कार्गो, थैलाबंद कार्गो, ग्रेनाइट ब्लॉकों, लोहा तथा इस्पात आदि कुछ कार्गो के लिए, बंदरों और भूखण्डों में स्टेवेडोरिंग गतिविधियों के अलावा लदाई और उतराई प्रचालनों की आवश्यकता होती है जिनके लिए क्षेत्रवार अलग-अलग गैंग तैनात किए जाते है । सीएचपीटी द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से यह दिखाई देता है कि उसे सी एवं एफ प्रचालनों के पारिश्रमिकों की मद में औसतन रू. 18/- प्रति टन व्यय करना पड़ता है ।

(ii) सी और एफ प्रचालनों के लिए, एक वर्ष की मात्रा, काम पर लगाए गए श्रमिकों और जून 2002 से नवम्बर 2002 तक प्रहस्तित टनों की मात्रा के आधार पर परिकलित की गई है । जून 2002 से नवम्बर 2002 से प्रहस्तित टनों की संख्या, जो वर्ष 2002-2003 के लिए 4,33,000 टन है, आधार मानी गई है । खाद्यान्नों की दृष्टि से 2,40,000 टन तक की अपेक्षित वृद्धि जोड़ी गई है जो वर्ष 2003-04 के लिए 6,73,000 टन आती है और वर्ष 2003-04 के लिए 5% की वृद्धि जो लगभग 700000 टन होती है । इसी प्रकार मई 2002 से अक्तूबर 2002 तक भूखण्ड प्रचालन के लिए प्रहस्तित टन-संख्या गणना में ली गई थी ।

(iii) प्रति नग दर के वास्तविक परिकलन के आधार पर यह पाया गया है कि प्रति टन प्रति नग दर, कैसा भी कार्गो हो, अधिकतम स्तर पर रु. 3.60 आती है । सेवाकर को भी गिनते हुए रु. 4/- प्रति टन की अग्रिम दर निर्धारित की गई है । यह राशि नियोक्ताओं से केवल अग्रिम राशि है जो सी एवं एफ प्रचालनों के पूरा होने के बाद वास्तविक बिल में समायोजित की जाएगी ।

(iv) सी एवं एफ प्रचालनों एवं भूखंड प्रचालनों के लिए, तैनात किए गए श्रमिकों की संख्या और उनके पारिश्रमिकों के आधार पर प्रत्यक्ष लागत अभिकलित की गई है । सीएचडी के लिए समग्र रूप से ली गई परोक्ष लागत, आरम्भ में, स्टेवेडोरिंग और सी एंड एफ प्रचालनों के बीच बांटी गई थी और उसके बाद सी एवं एफ लागत को, भूखंड प्रचालनों सहित सी एवं एफ के अन्तर्गत विभिन्न प्रचालनों में आबंटित की गई है ।

(v) चेन्नई में आयोजित संयुक्त सुनवाई में, सीएचपीटी ने प्रतिशतता लेवी को केवल स्टेवेडोरिंग प्रचालनों के लिए स्वीकार किया है और सी एवं एफ प्रचालनों के लिए नहीं ।

(ग) सी एव एफ गैंग को सी एव एफ प्रचालनों के लिए, विलय करार मे राहमत श्रमिक पैमाने के अनुसार तैनात किया गया है ।

श्रमिक पैमाना

कार्गो	मानवी	यांत्रिकी
सामान्य	1 मेस्त्री + 6 मजदूर	4 मजदूर
थैला बन्द	1 मेस्त्री + 6 मजदूर	2 मजदूर

(ग) अन्य सूचनाएँ

(i) निजीकरण की तिथि अर्थात 30 नवम्बर 2001 तक कन्टेनर टर्मिनल पर सहायक कार्य के लिए प्रति हुक 9 श्रमिक लगाए गए थे । सीटीबी के निजीकरण के परिणामस्वरूप लगभग 90 श्रमिकों को अतिरिक्त /फालतू बना दिया गया था और वर्ष 2003 मे लागू की गई स्वै.सेवा. नो. के अन्तर्गत 141 श्रमिक सेवा निवृत्त कर दिए गए थे । जैसाकि कोई अनावश्यकता नहीं है, निजी टर्मिनल प्रचालक से राजस्व मे भागीदारी का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

(ii) विलय की तिथि को सामान्य रक्षित कोष मे 58 करोड़ रूपये जमा थे, जो पूर्ववर्ती एमडीएलबी ने डब्ल्यूआरसी बकाया, डीएलबी श्रमिकों के लिए आकस्मिक दायित्वों को निभाने के लिए और वीआरसी कर्मचारियों के भुगतान के लिए सीएचपीटी को स्थानान्तरित किए थे ।

(iii). कार्गो प्रहस्तन प्रचालनों के लिए कोई क्रास - सब्सीडाइजेशन समाहित नहीं किया गया है क्योंकि यह गतिविधि पत्तन प्रचालनों से स्वतंत्र है । सीएचडी गतिविधि को, अन्य पत्तन गतिविधि से प्राप्त अतिरिक्त धन द्वारा क्रास-सब्सीडाइज करना उचित नहीं होगा ।

6.1. उपयोगकर्त्ताओं से परामर्श करने के बाद, पारिश्रमिकों पर आधार समय दर को रोकने के लिए सीएचपीटी ने एक परस्पर स्वीकृत फार्मूला प्रस्तावित किया है । फार्मूले का उद्देश्य जुलाई 2003 का आधार समय दर को रोकना है जिस पर लेवी की गणना की जाएगी ताकि उपयोगकर्त्ता निर्यात - आयात व्यापार को एक निश्चित दर प्रस्तुत कर सके । वर्ष 2001 और 2003 के बीच पारिश्रमिकों मे जो वृद्धि हुई है, उसका 50% जुलाई 2003 को लागू आधार पर लगाने का प्रस्ताव है ताकि अगले दो वर्षों के लिए आधार समय दर को रोका जा सके । रोकी हुई समय दर की वैधता टीएएमपी द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की तिथि से अक्तूबर 2005 तक या सीएचपीटी के दरमान मे संशोधन तक, इनमे से जो भी पहले हो, रखने का प्रस्ताव है ।

6.2. सीएचपीटी और उपयोगकर्त्ताओं ने, सी एव एफ और भूखंड प्रचालनों के लिए लगाए जाने वाली लेवी की दरें परिकलित करने का प्रयास किया है । उपयोगकर्त्ताओं ने तर्क दिया है कि, क्योंकि इस प्रचालन से आय बहुत नगण्य होती है इसलिए पत्तन को वर्तमान दर रु. 44/- प्रति टन को रु. 56/- प्रति टन तक नहीं बढ़ाना चाहिए । पत्तन ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा है कि उसने प्रचालन की लागत के आधार पर दरें प्रस्तावित की है और प्रस्तावित दरों मे कोई भी कमी करने से और लेवी मे प्रति टन दर से गैंग आधारित दर में परिवर्तन से पत्तन के राजस्व पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । पत्तन और उपयोगकर्त्ता सी एव एफ लेवी के लिए किसी परस्पर सहमत फार्मूले पर नहीं पहुँच सके ।

7. सीएचपीटी ने दिनाक 16 अक्तूबर, 2003 के अपने पत्र के द्वारा अपने प्रस्ताव मे कुछ सुधार / परिवर्तन सुझाए है । उसके द्वारा प्रस्तुत कुछ बिन्दु निम्नानुसार है :-

(i) पारिश्रमिक के 192% की दर से कार्गो प्रहस्तन लेवी के निर्धारण को अनुमोदित किया जाए । कृषि उत्पादों के विषय मे रु. 7.50 प्रति टन की जो विशेष लेवी टीएएमपी द्वारा पहले से ही अनुमोदित की जा चुकी है, जारी रखी जाए ।

(ii) प्रशासनिक लेवी संरचना को पत्तन उपयोगकर्त्ताओं के लिए आकर्षक बनाने के लिए सीएचपीटी के पत्र दिनांक 13 जनवरी, 2003 के परिशिष्ट-III मे निहित सी एव एफ प्रभारों के लिए प्रस्ताव मे संशोधन करते हुए सी एवं एफ प्रचालनों के लिए लेवी को रु. 56/- प्रति टन की बजाए रु. 40/- प्रति टन ही रखा जाए । इसके अलावा, जब कन्टेनर टर्मिनल पत्तन द्वारा प्रचालित किया जाता था, तब मानवीय प्रचालन सी एव एफ प्रचालनों मे मौजूद था । कन्टेनर टर्मिनल के निजीकरण पर, मानवीय प्रचालनों के बारे मे विभेदी सी एवं एफ लेवी को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है । इसलिए थैलों, लोहा और इस्पात, इस्पात संयत्र, खाद्यों आदि सामान्य कार्गो के बारे मे, प्रचालनों की प्रकृति के बावजूद, रु. 40/- प्रति टन की सी एव एफ लेवी को अनुमोदन प्रदान कर दिया जाए ।

(iii) सीएचपीटी की ओर इमारती लकड़ी के अधिक लट्ठे आकर्षित करने के लिए खनिजों और अयस्कों के लिए भूखंड प्रचालनों हेतु रु. 6/- प्रति टन की प्रस्तावित समेकित लेवी पर भी, इमारती लकड़ी के लट्ठों को शामिल करने के लिए विचार किया जाए ।

8. इस प्रकरण मे परामर्श से संबंधित प्रक्रियाएँ इस प्राधिकरण के कार्यालय के रिकार्ड मे उपलब्ध है । प्राप्त टिप्पणियों और संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों के सार-उद्धरण संबंधित पक्षों को अलग से भेजे जाएंगे । ये विवरण हमारे वैबसाइट www.tariffauthority.org पर भी उपलब्ध है ।

9. इस प्रकरण की प्रक्रिया के दौरान एकत्रित सूचना की समग्रता के सन्दर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभरती है :-

(i) मई 2001 मे पूर्ववर्ती मद्रास डॉक लेबर बोर्ड के सीएचपीटी मे विलय के परिणामस्वरूप, कार्गो प्रहस्तन कर्मचारियों की आपूर्ति के लिए लेवी संरचना का जैसा विलय करार मे निहित है, कथित रूप से इस समय पत्तन द्वारा अनुपालन किया जा रहा है । चूंकि पूर्ववर्ती डॉक लेबर बोर्ड के कर्मचारी अब सीएचपीटी के कर्मचारी हो गए हैं, इसलिए कार्गो प्रहस्तन कार्य के लिए इनकी आपूर्ति की दरों को इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता है । इस स्थिति से सीएचपीटी को दरमान के पिछले सामान्य संशोधन के समय अवगत करा दिया गया था । कृषि-उत्पादों के लिए लेवी प्रभारों के निर्धारण से संबंधित एक अन्य प्रक्रिया मे, वर्तमान लेवी संरचना की समीक्षा के लिए व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सीएचपीटी के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई थी । इस पृष्ठभूमि मे, संदर्भित प्रस्ताव सीएचपीटी द्वारा फाइल किया गया है । इस मुकाम पर यह प्राधिकरण, महापत्तन न्यास अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उसे प्रदत्त सुस्पष्ट अनुमोदन के बिना, सीएचपीटी द्वारा विलय करार के प्रावधानों के अनुसार लगाने की वैधता मे नहीं जाना चाहता है । विचार विमर्श के लिए इस समय लिया गया मुद्दा भावी प्रभाव से दरों की समीक्षा है ।

(ग) वीओसीपीटी ने सीधी की स्टीवेडोरिंग प्रभार का भाग लिया है । वीओसीपीटी ने, स्वयं स्टीवेडोरिंग सेवाएं प्रदान नहीं करता। लाइसेंसी एजेन्सी द्वारा बन्दरगाह पर लाइसेंस प्राप्त स्टीवेडोरों द्वारा प्रभार की वसूली प्रदान करते हैं । लाइसेंस प्राप्त स्टीवेडोरिंग एजेन्सियों के लिए कार्गो प्रहस्तन कर्मकारों वीओसीपीटी से नहीं रख लेते हैं । इसलिए वीओसीपीटी अपनी प्रहस्तन एजेन्सियों हेतु कर्मकारों की आपूर्ति के लिए प्रभार लगाती है । [illegible] "स्टीवेडोरिंग और सी एण्ड एफ एजेन्सियों के लिए कार्गो प्रहस्तन श्रमिकों की आपूर्ति हेतु प्रभार" होना चाहिए ।

(घ) विभिन्न जिन्सों और प्रचालनों के लिए श्रमिक नियोजन मान निर्धारित करने के लिए गए हैं । वीओसीपीटी ने यह भी बताया है कि कुछ जिन्सों के लिए श्रमिक नियोजन मान बाद में निर्धारित किए गए हैं । [illegible] वीओसीपीटी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसमें विभिन्न जिन्सों के लिए श्रमिक नियोजन मान भी शामिल हैं । कुछ उपयोक्ताओं ने भी वीओसीपीटी के अनुसार [illegible] श्रमिक नियोजन मानों का जिक्र किया है और प्राधिकरण से इस मामले की भी जाँच करने का अनुरोध किया है । यह माना गया है कि अपनाए गए श्रमिक नियोजन मान [illegible] करने वाली परिचालन लागत को सुनिश्चित और घटक प्रशुल्क पर प्रभाव पड़ेगा । इस बात को स्वीकार किया जाता है कि श्रमिक मान नियोजन अपना पत्तन का प्रबंधन संबंधी कार्य है और इस प्राधिकरण का इस विषय में कोई हस्तक्षेप नहीं है । इसके बावजूद, यदि अपना श्रमिक नियोजन मान प्रशुल्क प्रतिस्पर्धी स्तर से ऊपर उठा देता है, तब इस प्राधिकरण को प्रशुल्क की गणना में ऐसी [illegible] की अनुमति न देने के लिए विवश होना पड़ेगा । यह भी स्पष्ट हुआ है कि श्रमिक नियोजन मान का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर के मानक-निर्धारण में पहले से रुका हुआ है ।

श्रमिक नियोजन मानों के स्वरूप प्रति टन दरों के युक्तिकरण के लिए अपनाई गई आधार सामग्री का भी प्रशुल्क पर निश्चित प्रभाव पड़ेगा । पुनश्च, पत्तन प्रबंधन और श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच द्विपक्षीय विचार-विमर्श के बाद इस प्रकार की आधार सामग्री निर्धारित की जाती है । वीओसीपीटी, राष्ट्रीय स्तर के परिनिर्धारित समझौते में निहित प्रावधानों के अनुसार विभिन्न जिन्सों के लिए आधार-सामग्री को अपना सकता या युक्तिसंगत बनाने के लिए कार्रवाई कर सकती है ।

(ङ) वीओसीपीटी के मूल प्रस्ताव में, कार्गो प्रहस्तन श्रमिकों की आपूर्ति के लिए प्रभार लगाने हेतु दो विकल्प हैं । पत्तन ने आरम्भ में प्रति टन दर की वकालत की है किन्तु इसने पत्तन उपयोक्ताओं की माँग का सम्मान करते हुए प्रतिशतता लेवी की वर्तमान प्रणाली को जारी रखने का भी विकल्प प्रस्तावित किया है । अधिकतर पत्तन उपयोक्ताओं ने प्रतिशतता लेवी की वर्तमान प्रणाली को ही जारी रखने का समर्थन/सुझाव दिया है ।

इस प्राधिकरण ने, कार्गो प्रहस्तन श्रमिक लेवी से संबंधित विभिन्न मुद्दों के विश्लेषण के लिए पहले ही राष्ट्रीय स्तर का कार्यदल गठित किया हुआ है । परिनिर्धारित मुद्दों में से एक, प्रभार लगाने की विधि है । कार्यदल की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है । इसके बावजूद, वीओसीपीटी में इस

समय प्रचलित प्रतिशतता लेवी प्रणाली को, इसके पक्ष में उपयोक्ताओं द्वारा की गई जोरदार सिफारिशों के मद्देनजर, जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है । राष्ट्रीय स्तर के कार्यदल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उसकी सिफारिशों पर इस प्राधिकरण के निर्णय के आधार पर, यदि आवश्यक हुआ तो, वीओसीपीटी की स्थिति की समीक्षा की जाएगी ।

(च) वीओसीपीटी द्वारा कार्गो प्रहस्तन श्रमिकों की आपूर्ति के लिए वर्तमान लेवी संरचना प्रतिशतता लेवी और प्रति टन दरों का मिश्रण है । कार्गो प्रहस्तन श्रमिकों और पत्तन कर्मचारियों के बीच भी प्रतिशतता लेवी में अन्तर होता है । विभिन्न जिन्सों के बीच किसी भी प्रकार क्रास-सब्सिडाइजेशन से बचने के लिए वीओसीपीटी ने एक समान प्रतिशतता का प्रस्ताव रखा है । यह दृष्टिकोण समुचित लगता है । वास्तव में, वीओसीपीटी ने आरम्भ में 200% की प्रतिशतता लेवी प्रस्तावित की थी, बाद में, उसे इस दर को 180% तक घटाने पर सहमति हो गई । चूँकि, पत्तन और उपयोक्ता दोनों 180% की प्रस्तावित प्रतिशतता लेवी पर सहमत हो गए हैं, यह प्राधिकरण इसे अपनाने का अनुमोदन प्रदान करना चाहता है । यह समान प्रतिशतता लेवी पत्तन कर्मचारी और श्रमिकों, दोनों के संबंध में परिलब्धियों पर लागू होगी । यह [illegible] की जानी वाली [illegible] उपयोक्ताओं को सहायक महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रस्तावित प्रतिशतता लेवी, वीओसीपीटी द्वारा इस समय वसूल की जा रही लेवी से कम है ।

(छ) प्रभार लगाने की प्रतिशतता लेवी प्रणाली के अन्तर्गत, समय दर परिलब्धियों आधार पर आधारित, उपरिव्यय और प्रति नग परिलब्धियों को समाहित करने के लिए नग दर प्रतिशतता लेवी सामान्य रूप से उस श्रमिक से वसूल किया जाता है जो पत्तन न्यासधारियों से कार्गो प्रहस्तन श्रमिक मांग पर लेता है । समय परिलब्धियों समायोजित वेतन समझौते के संदर्भ में समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं । इस प्रकरण में, उपयोक्ताओं ने भविष्य समायोजन के लिए समय-परिलब्धियों को रोक देने का अनुरोध किया है जिससे उनकी वित्तीय देनदारियों के अनुमान में सुनिश्चितता आ सके । वीओसीपीटी ने इस विषय में उपयोक्ताओं की मांग को स्वीकार कर लिया है और इसके अनुसार समय परिलब्धियों की दर तैयार कर ली है । इस प्रकार समय परिलब्धियों दर में अगले दो वर्षों में परिलब्धियों में वृद्धि का भी ध्यान रखा है । चूँकि इस विषय में प्रस्तावित दरों पर सर्वसम्मति सहमति हो गई है, इस प्राधिकरण को इसे अनुमोदित करने में कोई संकोच नहीं है । प्रचलित व्यवहार के अनुसार, प्रति नग दर प्रोत्साहन परिलब्धियों पर लगाया जाएगा ।

(ज) कृषि उत्पादों को आकर्षित करने के लिए, वीओसीपीटी ने पहले एक अलग (रियायती) प्रति टन लेवी प्रस्तावित की थी । इस प्राधिकरण द्वारा यह प्रस्ताव फरवरी 2003 में अनुमोदित कर दिया गया । छोटी-बड़ी बोरियों में भरी या ढेर लगी थोक कार्गो जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, दलहन आदि जैसे कृषि उत्पादों के मामले में रु. 7.50 प्रति मी. टन की लेवी को अनुमोदन प्रदान किया गया था और अन्य कार्गो पर कर्मकारों के लिए 230% की लेवी को छोड़ दिया गया था । वीओसीपीटी ने, आरम्भ में, इस प्रावधान को अपने प्रस्ताव में शामिल नहीं किया था । यदि इन कृषि-उत्पादों के लिए वास्तविक परिलब्धियों और उपरिव्यय लागतों पर 180% की प्रस्तावित लेवी लागू की जाती है, तब उनके मामले में प्रहस्तन लागत बढ़ जाएगी । इस स्थिति को समझते हुए, वीओसीपीटी ने बाद में दिनांक 14 अक्तूबर, 2003 के अपने पत्र द्वारा अनुरोध किया है कि कृषि-उत्पादों के लिए लेवी यथावत् रहने दी जाए जो इस प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 4 फरवरी, 2003 के माध्यम से अनुमोदित की है । यह प्रस्ताव मान लिया गया है ।

(viii) स्टेवेडोरिंग गतिविधि के लिए कार्गो प्रहस्तन श्रमिकों की आपूर्ति के लिए लेवी के मामले में जैसे मतैक्य हो गया था, वैसे मतैक्य पत्तन और उपयोगकर्त्ताओं के बीच, सी एवं एफ प्रचालनों के लिए श्रमिकों की आपूर्ति हेतु प्रभारों के संबंध में नहीं हो पाया । पत्तन ने शुरू में, प्रति टन दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया था । बाद में वह, वही लेवी संरचना लागू करने के लिए मान गया जिस पर स्टेवेडोरिंग प्रचालनों हेतु सहमति हो गई थी । तथापि उपयोगकर्त्ताओं ने मांग की कि केवल समय दर पारिश्रमिक ही, उस पर किसी प्रतिशतता लेवी के बिना, वसूल किया जाए । चूंकि पत्तन को उपरि व्यय की भी भरपाई करनी है, यह मांग पूरी तरह से न्यायोचित नहीं लगती है । यदि इसे सी एवं एफ प्रभारों के भाग के रूप में वसूल नहीं किया जाता है तो तब ऐसे व्ययों को स्टेवेडोरिंग प्रचालनों के लिए भुगतान-योग्य लेवी की गणना के लिए शामिल करने की आवश्यकता होगी ।

(ix) यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि प्रतिशतता लेवी प्रणाली में प्रभार 8 घंटों की पाली में श्रमिक गैंगों की तैनाती के लिए वसूल किए जाते हैं । सीएचपीटी ने एक वैध बिन्दु उठाया है कि यदि प्रतिशतता लेवी प्रणाली सी एवं एफ प्रचालनों पर लागू की जाती है तो यह उन छोटे उपयोगकर्त्ताओं के हित में नहीं होगी जो प्रति पाली या प्रति दिन केवल दो या तीन ट्रकों की डिलीवरी लेते हैं । इस पहलू को ध्यान में रखते हुए, सी एवं एफ प्रचालनों के लिए कार्गो प्रहस्तन श्रमिकों की आपूर्ति के लिए प्रति टन प्रभारों की वर्तमान प्रणाली को ही जारी रखना समुचित होगा ।

(x) सीएचपीटी ने, बाद में अपने पत्र दिनांक 16 अक्तूबर, 2003 के द्वारा, रु. 40/- प्रति मी.ट. के वर्तमान सी एवं एफ प्रभारों को, उनमें कोई वृद्धि किए बिना, जारी रखने का अनुरोध किया था । यह स्वीकार करना होगा कि वर्तमान दरों के भी औचित्य को सिद्ध करने के लिए कोई लागत-विवरण उपलब्ध नहीं है । किन्तु, यह भी मानना होगा कि वर्तमान दरें कुछ समय से प्रचलित हैं और उपयोगकर्त्ता वर्तमान दरों के अनुसार प्रभारों का भुगतान करते आ रहे हैं । उनकी आपत्ति मुख्य रूप से प्रत्यक्ष प्राप्ति और निर्गम प्रचालनों के लिए गैंगों की सैद्धांतिक तैनाती को लेकर है । इस पृष्ठभूमि में, यह प्राधिकरण सी एवं एफ प्रचालनों के लिए श्रमिकों की आपूर्ति के लिए वर्तमान दरों को जारी रखने हेतु अनुमति प्रदान करने की इच्छुक है ।

(xi) सी एवं एफ प्रचालनों के लिए प्रभारों की वर्तमान व्यवस्था में दो दरें हैं - यांत्रिक प्रचालन के लिए रु. 40/- प्रति मी.ट. और मानवीय प्रचालन के लिए रू. 70/- प्रति मी.ट. । ये प्रभार सामान्य कार्गो पर केवल निर्गम / प्राप्ति प्रचालनों के लिए प्रभार्य हैं । सीएचपीटी ने, बाद में रु. 40/- प्रति मी.ट. की एकल दर जारी रखने का प्रस्ताव किया है क्योंकि मानवीय प्रचालनों के लिए अलग दर रखना अब और अधिक प्रासंगिक

नहीं है । सीएचपीटी द्वारा स्पष्ट की गई इस स्थिति के मद्दे नजर, सामान्य कार्गो के विषय में, निर्गम / प्राप्ति प्रचालनों के लिए संशोधित दरमान में, प्रचालन की विधि का विचार न करते हुए, रु. 40/- प्रति मी.ट. की एकल दर शामिल की जाती है ।

(xii) सी एवं एफ प्रचालनों के लिए प्रभारों के अतिरिक्त, सीएचपीटी ने भूखंड प्रचालनों के लिए रु. 6/- प्रति मी.ट. की दर से प्रभार बढ़ाने का प्रस्ताव किया है । यह प्रभार बल्क कार्गो और अयस्कों के निर्गम / प्राप्ति के लिए वर्तमान प्रभार रु. 3.75 प्रति मी.ट. के समरूप है । चूंकि कोई लागत औचित्य उपलब्ध नहीं है, इस मामले में भी वर्तमान दरें ही जारी रह सकती हैं । सीएचपीटी ने मात्रा आकर्षित करने के लिए इमारती लकड़ी / लट्ठों को भी इस श्रेणी के अधीन लाने का अनुरोध किया है । यह ध्यान देने योग्य है कि इमारती लकड़ी / लट्ठे, वर्तमान व्यवस्था में, रु. 40/- प्रति मी.ट. की दर से सी एवं एफ प्रभार का भुगतान करते हैं और प्रस्तावित पुन: वर्गीकरण इस प्रकार के यातायात को लाभ पहुंचाए और इस व्यापार को आकर्षित करने के सीएचपीटी के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करे । इस पृष्ठभूमि में, इमारती लकड़ी / लट्ठों के मामले में पुनर्वर्गीकरण की अनुमति प्रदान करने की सीमा तक सीएचपीटी के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है ।

(xiii) उपयोगकर्त्ताओं की यह लम्बे समय से चली आ रही मांग है कि प्रत्यक्ष निर्गम / प्रत्यक्ष लदाई जिन्सों के मामले में सी एवं एफ प्रभार न लगाए जाएं । सीएचपीटी इस मांग को अब मान गया है और उसने प्रस्तावित दरमान में शामिल करने के लिए, इस विषय में, एक अनुकूल सशर्तता प्रस्तावित की है । इसे अनुमोदित किया जाता है ।

सीएचपीटी द्वारा प्रस्तावित एक अन्य सशर्तता में, यह उल्लेख किया गया है कि सी एवं एफ प्रभार " सभी आयात आवेदनों / अनुप्रयोगों और निर्यात आवेदनों / अनुप्रयोगों के माध्यम से, जैसा अभी तक होता आया है "लगाए जाएंगे । विलय के समझौते में सैद्धांतिक गैंग तैनाती और उनके सैद्धांतिक भुगतान को अनावश्यक बताने वाला स्पष्ट प्रावधान है । डीएलबी के साथ सीएचपीटी के विलय के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, पत्तन के लिए यही उचित होगा कि वह सी एवं एफ प्रभार केवल तभी लगाए जब इस प्रकार के प्रचालन के लिए श्रमिक वास्तव में लगाए जाएं । ऐसी स्थिति में, प्रस्तावित सशर्तताओं को यह दर्शाने के लिए संशोधित किया जाता है कि सी एवं एफ प्रभार, आयात आवेदनों और निर्यात आवेदनों के माध्यम से केवल तभी वसूल किए जाएंगे जब सी एवं एफ प्रचालनों के लिए श्रमिकों को वास्तव में तैनात किया जाएगा ।

(xiv) सी एवं एफ प्रचालनों के संबंध में, सीएचपीटी ने वास्तविकों पर, अलग से, श्रमिकों के प्रति प्रति नग दर प्रोत्साहन लगाने का प्रस्ताव किया है । यह एक प्रचलित व्यवस्था है जो जारी रह सकती है । तथापि पत्तन ने, समायजोन के अधीन रू. 4/- प्रति मी.ट. की एक अग्रिम भुगतान वसूल करने का प्रस्ताव किया है। पत्तन ने समझाया है कि वास्तविक कार्य पद्धति के अनुसार अधिकतम स्तर पर, कैसा भी कार्गो हो, प्रति नग दर प्रोत्साहन रु. 3.60 प्रति मी. ट. आता है । भुगतान -योग्य सेवा कर को शामिल करके पत्तन ने इसे रु. 4/- प्रति मी.ट. के रूप में पूरा कर दिया है । इस विषय में प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है ।

यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि विलम्ब के लिए दंड ब्याज की वापसी की समय-सीमा, इस प्राधिकरण द्वारा किए गए सामान्य निर्धारण के अनुसार, इस मामले में भी लागू होगी ।

(xv) पहले ही लिए जा चुके साझा नीति निर्णय के अनुरूप, इस मामले में अनुमोदित दरें भी केवल उच्चतम दरें होंगी । सीएचपीटी, यदि यह चाहे तो, आवश्यकताओं के आधार पर निम्नतर दरें लगा सकता है ।

(xvi) अनुमोदित दरें, इस प्रकरण में आदेश के भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक वैध रहेंगी । अच्छे उद्देश्यों के लिए कार्यक्रम से पहले समीक्षा भी स्वीकार की जाएगी ।

10 [illegible]

[illegible]

[illegible]

अध्याय - VI

[illegible] और पर्यवेक्षी कर्मचारियों की आपूर्ति के लिए प्रभार

भाग 1 - [illegible]

(1) [illegible]

क्र.सं.	[illegible]	[illegible]
1.	[illegible]	725.37
2.	[illegible]	626.02
3	[illegible]	613.13
4	[illegible]	507.46
5	[illegible]	491.71
6.	[illegible]	488.44
7.	[illegible]	412.17

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

खण्ड-3 विद्युतीय एवं यांत्रिकीय प्रभाग

कार्य की प्रकृति		प्रति टन लेवी (रू. में)
निर्माण / मरम्मत		
(क)	सामान्य कार्य	40.00
(ख)	ब्लॉक कार्य, आवरक और इमारती लकड़ी / लकड़ी के लट्ठे	03.75

शर्तें :

1 जब भी एक ही प्रकाशनों के लिए कर्मियों की आवश्यकता से निर्माण किया जाता है [illegible] और विशेष [illegible] वसूल किया जाएगा और इस कार्य के लिए कोई अलग [illegible] वसूल नहीं किया जाएगा ।

2 उपर्युक्त दरों में प्रति माल दर [illegible] शामिल नहीं है । प्रति माल दर [illegible], सीएसडीटी द्वारा [illegible] के अतिरिक्त देय है ।

3 [illegible] के अतिरिक्त भी एक एक प्रकाशनों के लिए [illegible] वसूली जाएगी जो सीएसडीटी द्वारा [illegible] है ।

4 [illegible] द्वारा [illegible] अतिरिक्त [illegible] देय होगा ।

5 [illegible] प्रकाशनों के लिए, यही दरें वसूल की जाएगी जो भी एक एक प्रकाशनों के लिए लागू है ।

6 सामान्य कार्यों की प्रकृति / विशेष कार्य के लिए, विभिन्न [illegible] पर [illegible] किए जाएंगे और वे [illegible] के लिए [illegible] किया जाएगा ।

7 जहां [illegible] के लिए भी एक एक प्रकाशन की मद में कोई [illegible] नहीं है । [illegible] किए बिना [illegible] की जाती है ।